भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3173
(08 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के कामगारों हेतु मोबाइल आधारित उपस्थिति को अनिवार्य करना

3173. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजी) के कामगारों के लिए मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति अनिवार्य कर दी है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय को तकनीशियनों को फोटो और आवेदन अपलोड करने में आ रही समस्याओं की जानकारी है जो दूर-दराज के गांवों में काम नहीं करते हैं और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उपस्थिति आवेदन तैयार करने वाली कंपनी/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजी) मोबाइल आवेदनों की गुणवत्ता जांच के लिए लेखापरीक्षा की गई है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार के मानक परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निकाय ने मोबाइल आवेदनों की लेखापरीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गाँधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिनांक 1 जनवरी, 2023 से यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) के संबंध में दिन में कामगारों के जियोटैग किए हुए , दो टाइम स्टैंप वाले फोटोग्राफों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज की जाए।

यह भुगतान संबंधी तीव्र कार्रवाई को सक्षम बनाने के अलावा योजना की नागरिक निगरानी को बढ़ाता है। कार्यस्थल पर्यवेक्षक एनएमएमएस ऐप के माध्यम से श्रमिकों की जियो-टैग की गई तस्वीरों से उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिम्मेदार हैं।

एनएमएमएस ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याओं को वास्तविक समय में ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के समक्ष लाया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुरोध किए गए नए प्रावधानों/सुझावों को शामिल किया जा रहा है। एनएमएमएस ऐप से संबंधित सभी मुद्दों की समय-समय पर समीक्षा और उनका समाधान किया जाता है।

पहला फोटोग्राफ दर्ज करने के 4 घंटे बाद ही दूसरा फोटोग्राफ दर्ज करने के लिए एनएमएमएस ऐप्लिकेशन आशोधित किया गया है। पहले फोटोग्राफ और दूसरे फोटोग्राफ के साथ सुबह की उपस्थिति ऑफलाइन मोड में भी दर्ज की जा सकती है और डिवाइस में नेटवर्क आने के बाद उस उपस्थिति को अपलोड किया जा सकता है। आपवादिक परिस्थितियों के कारण उपस्थिति अपलोड न किए जा सकने की स्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता (डीपीसी) को यह प्राधिकार दिया गया है कि वे उस मैन्युअल उपस्थिति को अपलोड कर सकते हैं।

(ग): एनएमएमएस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)-ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तकनीकी टीम द्वारा विकसित किया गया है।

(घ) और (ड.): एनआईसी-ग्रामीण विकास विभाग की तकनीकी टीम द्वारा नियुक्त विशेष एजेंसी ने गुणवत्ता जांच के साथ-साथ मानक परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन हेतु एनएमएमएस मोबाइल ऐप्लिकेशन की जांच की थी।

****